



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट-16/2017- 370 दिनांक : 23.05.2023

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन संरक्षक, वनरोपण,
शोध एवं मूल्यांकन, राँची

विषय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल के वनों में साल के सहयोगी प्रजाति के वृक्षों का शोध वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) हेतु कुल **रु0 8.329 लाख (आठ लाख बत्तीस हजार नौ सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-29/2017-24/स्वी0 व0प0 दिनांक 30.08.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-27/2020-08/आ0 व0प0 दिनांक 02.05.2023।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-60 "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 8.329 लाख (आठ लाख बत्तीस हजार नौ सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाइयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S2406011016001010103	7.129
आपूर्ति एवं सामग्री	19S2406011016001010323	1.200
कुल :-		8.329

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन संरक्षक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060110160010103, 19S24060110160010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।
7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।
14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्योरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेगे।

18. राशि का उप आवंटन इस शर्त के साथ की जाती है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राशि का व्यय करेंगे।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक वर्ष कार्यदर के अनुसार उपलब्ध कराई गई राशि एवं कार्यदर में निहित कार्यों से संबंधित किये गये शोध/मापी से संबंधित प्रतिवेदन वर्षवार तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-16/2017-370

दिनांक- 23.05.2023

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची/ पी0एम0यू0 सेल, कार्यालय-योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-16/2017-370

दिनांक- 23.05.2023

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल के वनों में साल के सहयोगी प्रजाति के वृक्षों का शोध वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) हेतु उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :- वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची

राशि (लाख में)

क्र. सं.	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			5940.99	1000.00	6940.99
i	ii	iii	iv	v	vi
1	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, महेशपुर एवं, देवघर	120.00	7.129	1.200	8.329
योग :-		120.00	7.129	1.200	8.329

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

साल के वनों में साल के सहयोगी प्रजाति के वृक्षों का शोध वृक्षारोपण की
अनुसूचित कार्य दर

न्यूनतम मजदूरी : रु 346.01 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी — 3 मी० x 2 मी०

पौधों की संख्या — 1666 प्रति हेक्टेयर

(प्रजाति — हर्रे, बहेरा, बीजा साल, कुसुम, महुआ, करम, पीयार, सेमल, आसन, अर्जुन, सीधा आदि)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति हेक्टेयर				योग
		इकाई	मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	
1	2	3	4	5	6	7
(A)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष)					
1	पौधों की सुरक्षा — 60 हे० तक।		12.17	4210.94	0.00	4210.94
2	पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण, संकलन एवं प्रकाशन आदि कार्य।	1 हे०	5	1730.05	1000.00	2730.05
	योग :-		17.17	5940.99	1000.00	6940.99

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

आवृत्ति वित्तिय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-16/2017/370

दिनांक - 23-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110160000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते	28188	DRNFWL020 SMITHA PANKAJ CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD 03 - मजदूरी	712,900.00 रुपये सात लाख बारह हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060110160000323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	28189	DRNFWL020 SMITHA PANKAJ CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	120,000.00 रुपये एक लाख बीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये आठ लाख बत्तीस हजार नौ सौ
क्रमिक योग:

832,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

SAHIL POCE DEV JHARKHAND